R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 3 ♦ सितम्बर 2018

मुद्रा प्रबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली में संशोधन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 सितंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन किया है ताकि जनता बैंक शाखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के कटे-फटे नोटों का विनिमय कर सकें, जो पूर्व शृंखला की तुलना में आकार में छोटे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) संशोधन नियमावली, 2018 को 6 सितंबर, 2018 के भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

प्रमुख परिवर्तन

₹ 50 से कम मूल्यवर्ग के कटे फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है, जब प्रस्तुत नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा निम्न सारणी 1 के कॉलम 5 में दर्शाए अनुसार हो :-

मूल्यवर्ग	लंबाई (सेंटीमीटर)	चौड़ाई (सेंटीमीटर)	क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	पूर्ण भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)
1	9.7	6.3	61.11	31
2	10.7	6.3	67.41	34
5	11.7	6.3	73.71	37
10	13.7	6.3	86.31	44
10 – नई महात्मा गांधी शृंखला	12.3	6.3	77.49	39
20	14.7	6.3	92.61	47
20– नई महात्मा गांधी शृंखला	12.9	6.3	81.27	41

यदि पचास रूपये और इससे अधिक मूल्यवर्ग के कटे फटे नोटों के दावे में प्रस्तुत नोट को उसी नोट के दो टुकड़ों से बनाया गया हो और प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्र, अलग अलग, उस मूल्यवर्ग के नोट के कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक अथवा समान हो तो नोट के दावे का पूर्ण भुगतान किया जाए ।

यदि नोट के सबसे बड़े टुकड़े का न्यूनतम अविभाजित क्षेत्र नीचे टेबल में दर्शाए अनुसार हो तो, ₹ 50 और इससे अधिक मूल्यवर्ग के कटे फटे नोटों का मूल्य का भुगतान पूर्ण अथवा आधा, जैसा भी मामला हो, किया जाए :-

मूल्यवर्ग	लंबाई (सेंटीमीटर)	चौड़ाई (सेंटीमीटर)	क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	पूर्ण भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	आधा भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)
50	14.7	7.3	107.31	86	43
50 – नई महात्मा गांधी शृंखला	13.5	6.6	89.10	72	36
100	15.7	7.3	114.61	92	46
100 – नई महात्मा गांधी शृंखला	14.2	6.6	93.72	75	38
200	14.6	6.6	96.36	78	39
500	15.0	6.6	99.00	80	40
2000	16.6	6.6	109.56	88	44

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser aspx?Id=11372Mode=0)

बैंकिंग विनियमावली

चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 27 सितंबर 2018 को बैंकों को अनुमति दी कि वे 1 अक्तूबर 2018 से, बैंकों को एलसीआर की गणना के प्रयोजन से स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएएलएलसीआर के अंतर्गत धारित सरकारी प्रतिभूतियों को उनके एनडीटीएल के और 2 प्रतिशत तक मान्यता देने की अनुमति दी जाएगी। अतः,एसएलआर में से एफएएलएलसीआर के अंतर्गत कुल निकासी (कार्व आउट) अब 13 प्रतिशत होगी, जिससे बैंकों को उपलब्ध एसएलआर में कार्व आउट उनके एनडीटीएल का 15 प्रतिशत हो जाएगा।

वर्तमान में, बैंकों के लिए एलसीआर की गणना के प्रयोजन से स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में अनुमत आस्तियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां और (ख) अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर (i) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 2 प्रतिशत] के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां तथा (ii) चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 11 प्रतिशत] शामिल हैं।

एलसीआर के इस प्रयोजन से, बैंकों को एचक्यूएलए के रूप में मान्यता प्राप्त ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण ऐसी राशि पर करना जारी रखना चाहिए, जो उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न हो (प्रतिभूति को धारण करने की श्रेणी, अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी को ध्यान में न रखते हुए)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना, 2018

आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 के अनुसार भारत में दस से अधिक बैंकिंग आउटलेट रखने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे अपने बैंकों में आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करें। आईओ अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहकों की उन शिकायतों की जांच करेगा जो बैंक की ओर से सेवा में कमी के स्वरूप में हैं, जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। चूंकि शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय सूचित करने से पहले बैंक आंतरिक रूप से सभी शिकायतों को पूरी तरह से निवारण के लिए आगे संबंधित आईओ को बढ़ाएंगे, उन शिकायतों के बारे में बैंकों के ग्राहकों को सीधे आईओ के पास संपर्क करने की जरूरत नहीं है। आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामकीय निगरानी (ओवरसाइट) के अलावा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र द्वारा भी की जाएगी।

इस ग्राहक केंद्रिक दृष्टिकोण के भाग के रूप में, आईओ तंत्र के कार्यसंचालन पर निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ आईओ की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 सितंबर 2018 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत 'आंतरिक लोकपाल योजना, 2018' के रूप में संशोधित निदेश जारी किए। यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ आईओ की नियुक्ति/कार्यकाल, भूमिका तथा उत्तरदायित्व, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश तथा निगरानी तंत्र को कवर करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2015 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी और विदेशी बैंकों को सूचित किया था कि वे बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार की गई शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति करें। आईओ तंत्र की स्थापना इसलिए की गई कि बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों की शिकायतों को बैंक स्तर पर ही बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के उच्चतम स्तर पर स्थापित किए गए प्राधिकरण द्वारा निपटाया जा सके ताकि निवारण हेतु ग्राहकों के लिए अन्य मंचों तक पहुंचने की आवश्यकता कम हो सके। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay. aspx?prid=44900)

वित्तीय समावेशन और विकास

बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ऋण का सह-निर्माण

रिज़र्व बैंक ने 21 सितंबर 2018 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और छोटे वित्त बैंकों को छोड़कर) को सलाह दी कि वे जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) (इसके बाद एनबीएफसी नाम से संदर्भित) के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण का सह- निर्माण करें। व्यवस्था में दोनों उधारदाताओं द्वारा सुविधा स्तर पर क्रेडिट का संयुक्त योगदान होना चाहिए। इसमें बैंक और एनबीएफसी के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित समझौते के अनुसार संबंधित व्यावसायिक उद्देश्यों का उचित सरेखण सुनिश्चित करने के लिए बैंक और एनबीएफसी के बीच जोखिम और प्रतिफल साझा करना शामिल होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक सुविधाओं को शामिल किया जाए : -

- सह-निर्माण व्यवस्था में शामिल होने पर बैंक क्रेडिट के अपने हिस्से के संबंध में प्राथमिकता क्षेत्र की स्थिति का दावा कर सकता है। हालांकि, बैंक की बहियों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की परिसंपत्ति हमेशा एनबीएफसी की आश्रय सुविधा के बिना होनी चाहिए। इसके अलावा, सह- निर्माण ढांचे के तहत विदेशी बैंकों द्वारा विस्तारित ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संपत्ति के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले ऋणों तक ही सीमित होंगे।
- संबंधित ब्याज दरों और जोखिम साझा करने के अनुपात के आधार पर, निश्चित दर ऋण के मामले में अंतिम उधारकर्ता को एक मिश्रित ब्याज दर की पेशकश की जानी चाहिए। फ्लोटिंग ब्याज दरों के परिदृश्य में, संबंधित ऋण योगदान के अनुपात में बेंचमार्क ब्याज दरों का भारित औसत पेश किया जाना चाहिए। क्रेडिट के अपने हिस्से के लिए बैंक द्वारा लगाई गई ब्याज दर अग्रिम पर ब्याज दरों पर लागू दिशानिर्देशों के अधीन होगी। इसके अलावा, एनबीएफसी-एमएफआई (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो फाइनेंस संस्थान) जिन्हें एनबीएफसी-एनडी-एसआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को सह-निर्मित ऋण में उनके योगदान के लिए अर्हक संपत्ति के तहत शामिल ऋणों के लिए ऋण कीमत निर्धारण और अन्य लागू दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इस पर विचार किया गया है कि बैंकों से कम लागत वाले फंडों और एनबीएफसी के संचालन की कम लागत का लाभ मिश्रित दर / भारित औसत दर के माध्यम से अंतिम लाभार्थी को दिया जाए। इस संबंध में, बैंक / एनबीएफसी, ऋण विवरण सहित अन्य विवरण जैसे कि, ब्याज दर और अन्य शुल्कों, जोखिम-साझाकरण व्यवस्था के विवरण, और रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यकता नुसार मांगे जानेवाले सभी विवरण प्रदान करेंगे।
- सह-निर्माण व्यवस्था में शामिल होने की अवधि में, बैंक / एनबीएफसी को अन्य बातों के साथ साथ,वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग पर मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, हालांकि बैंक और एनबीएफसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत मानकों के अनुसार हालांकि एनबीएफसी से सोर्स ऋण की उम्मीद है, बैंक अपने हिस्से के क्रेडिट स्वीकृति घटक को एनबीएफसी को आउटसोर्स नहीं करेगा।
- शिकायत निवारण के संबंध में, एनबीएफसी / बैंक के साथ उधारकर्ता द्वारा पंजीकृत किसी भी शिकायत को बैंक / एनबीएफसी के साथ भी साझा किया जाएगा; यदि शिकायत का निवारण 30 दिनों के भीतर नहीं होता है तो, उधारकर्ता के पास संबंधित बैंकिंग लोकपाल / एनबीएफसी के लोकपाल के पास इसे बढ़ाने का विकल्प होगा।
- एनबीएफसी / बैंक के साथ सह-निर्माण करार करते समय बैंक / एनबीएफसी बोर्ड अनुमोदित नीति तैयार करेगा। सह-निर्माण करार के अंतर्गत ऋण बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों, करार की शर्तों और मौजूदा नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक / एनबीएफसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक सत्यापन के अधीन होगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11376Mode=0)

भाषण

निवारक सतर्कता – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुशासन का मुख्य उपकरण: गवर्नर

डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर ने 20 सितंबर 2018 को केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली में भाषण दिया जिसमें उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए सतर्कता के महत्व पर जोर दिया और विशेषकर प्रणाली को मजबूत और विश्वसनीय बनाए रखने में निवारक सतर्कता की मुख्य भूमिका को रेखांकित किया।

अपने भाषण में प्युबीलियस साइरस का जिक्र करते हुए, उन्होंने सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सतर्कता को संभावित खतरे और कठिनाइयों के लिए देखभालपूर्ण निगरानी रखने के कार्य या स्थिति के रूप में सतर्कता को परिभाषित किया। इसके अनेक रूप होते हैं जिन्हें प्रायः निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :

- निवारक सतर्कता जिसका लक्ष्य किसी प्रकार की चूक (कानून, मानदंड का उल्लंघन और व्यापक रूप से अभिशासन कमी) की संभावना को कम करना है;
- अन्वेषी सतर्कता जिसका लक्ष्य किसी प्रकार की चूक होने पर उसका पता लगाना और उसे सत्यापित करना है तथा अंतिम रूप में,
- दंडात्मक सतर्कता जिसका लक्ष्य किसी प्रकार की चूक होने से रोकना है।

गवर्नर ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के आधुनिक आर्थिक सिद्धांत तथा भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, के बारे में बात की जो मुख्य रूप से 1968–1974 के दौरान अपराध और दंड पर गैरी बेकर की अंतर्दृष्टि और मौलिक रचनाओं से उत्पन्न हुआ है। गैरी बेकर के मौलिक विश्लेषण की भांति ही, उन्होंने सतर्कता को समझने के लिए मुख्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।

सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में सतर्कता किस प्रकार बेहतर ढ़ंग से कार्य कर सकती है?

सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में कई कारणों से दंडात्मक सतर्कता मुश्किल होती है। प्रतिफल बहुत कम होता है, इससे नीचे की ओर संशोधन की संभावना सीमित हो जाती है। इस प्रतिबंध के चलते, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो प्रायः अधिमानित दंड है, करियर प्रगति के अवसरों को सीमित कर देती है। तथापि, यह दुर्भाग्य है कि जहां दंडात्मक सतर्कता कार्रवाई की जाती है, वहां करियर में एक बिंदु के परे कर्मचारी निरुत्साहित हो जाते हैं । सैद्धांतिक रूप से, इसे 'गोल्डन हैंडशेक' से निपटाया जा सकता है, तथापि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी जो आश्वासन प्रदान करती है, प्रायः उल्लेखनीय अपसाइड वित्तीय रिवार्ड के अभाव के कारण इन नौकरियों की मुख्य आकर्षक विशेषता है। जबकि अधिक प्रभावशीलता के लिए इन प्रतिबंधों के अंदर भी धन संबंधी प्रोत्साहनों और करियर आधारित रिवार्ड को अच्छा बनाने के तरीके हैं, इस बात के साथ समापन करना उचित है कि इनका दंश उतना तीखा नहीं है जितनी निजी क्षेत्र में है।

अन्वेषण से दंडात्मक नतीजे नहीं निकलते हैं (शायद काफी समय के बाद और बहुत नितांत या प्रबल मामलों को छोड़कर) जिससे अन्वेषी सतर्कता में निवेश से चूक की घटनाओं में वांछित कमी की गारंटी नहीं मिलती, चाहे कुछ मामलों में चूककर्ता की गिरफ्तारी और निवारक उपायों में सहायता मिल सकती है।

ऐसे परिदृश्य में, निवारक सतर्कता केंद्र बिंदु में रहती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में अभिशासन का एक मुख्य प्रभावी साधन बन जाती है। जब कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर के पृष्ठभूमि शोर के कारण चूक हो जाती है, (जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की बहुलता से चर्चा करने की जटिलता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र का मामला है), दंडात्मक सतर्कता और भी अधिक निरुत्साही बना देती है और कम आकर्षक बन जाती है, जैसाकि अन्वेषक सतर्कता करती है। अन्य शब्दों में, किसी प्रकार की अन्वेषक और दंडात्मक सतर्कता लगाने की आवश्यकता से दूर न जाते हुए, निवारक सतर्कता अवधारणात्मक रूप से शायद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे प्रभावी अभिशासन तंत्र हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में निवारक सतर्कता उपाय

वैयक्तिक स्तर पर, अनुदेश बने हुए हैं कि कतिपय लेनदेन (जैसे अचल संपत्ति का अधिग्रहण और वित्तीय संस्था से ऋण लेना) के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए, कतिपय लेनदेनों (मौद्रिक सीमा से अधिक चल आस्तियों का अधिग्रहण और वित्तीय संस्थाओं में परिवार के सदस्यों का रोजगार) की रिपोर्टिंग की जाए तथा जब कर्मचारी द्वारा निपटाए जा रहे किसी अधिकारिक लेनदेन में व्यक्तिगत हित हो, तो उसका शुरू में ही प्रकटन किया जाए।

संगठन के स्तर पर, स्थापित किए गए निवारक सतर्कता उपायों में शामिल है – संवेदनशील तैनातियों की पहचान करना, सतर्कता संवेदनशील क्षेत्रों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक दौरा किया जाए, जिसमें रिज़र्व बैंक की प्रशिक्षण संस्थाओं में मानव संसाधन (एचआर) से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सतर्कता से संबंधित सत्र सम्मिलित करना, सतर्कता और उचित आचरण के विभिन्न पहलुओं पर नए भर्ती स्टाफ को सजग करना, स्टाफ का आवधिक फेर–बदल, सुनिर्धारित भर्ती प्रक्रियाएं तथा खरीद नीतियां, नकदी विभाग में संवेदनशील क्षेत्रों की सीसीटीवी के माध्यम से निकटता से निगरानी, स्टाफ और उन व्यक्तियों के लिए प्रभावी शिकायत निवारक मशीनरी शुरू करना जिनमें बैंक का अन्यों के साथ अधिकारिक लेनदेन होता है।

संगठन स्तर पर इन निवारक सतर्कता उपायों के भाग के रूप में,

- केंद्रीय सतर्कता कक्ष ने स्टाफ के लाभ के लिए निविदाओं और अन्य सतर्कता मामलों पर अनुदेशों का सारांश प्रकाशित किया। रिज़र्व बैंक के परिसर विभाग में भी सभी प्रकार की खरीद के लिए मैनुअल है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के दौरान, कक्ष ने अपनी इंट्रानेट साइट (ईकेपी) पर एक अलग से से साइट शुरू की जहां सतर्कता से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध है।
- मार्च 2017 में, कक्ष ने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें आयोग के मुख्य तकनीकी जांचकर्ता ने रिज़र्व बैंक की खरीद गतिविधियों से जुड़े अधिकारियों को संबोधित किया और खरीद प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले सतर्कता मुद्दों का समाधान करने के लिए मूल्यवान बातें (टिप्स) बताई।
- सतर्कता के जांच पहलुओं पर अधिकारियों को सजग करने के लिए रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सितंबर 2017 में सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद में आयोजित किया गया।
- खरीद कार्य से संबंधित अधिकारियों के लाभ के लिए हाल में मुंबई में 'खरीद के सिद्धांत और संबंधित मामला अध्ययन' पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, जागरूकता बढ़ाने और ई–निविदा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कान्फ्रेंस की गई।

[1] गवर्नर डॉ उर्जित आर पटेल द्वारा 20 सितंबर 2018 को केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली में दिया गया भाषण ।

रिज़र्व बैंक में निवारक सतर्कता की एक महत्वपूर्ण विशेषता आंतरिक अभिशासन है अर्थात एक दूसरे को अनुशासित करने के लिए कर्मचारियों की आपस में संलग्नता। उदाहरण के लिए, खरीद के क्षेत्र में निवारक सतर्कता को और सुदृढ़ करने के लिए एक कदम के रूप में, रिज़र्व बैंक ने बड़े मूल्य की खरीद (₹ 5 करोड़ से अधिक) इंटेग्रिटी पैक्ट (आईपी) की संकल्पना शुरू की है तथा इस पैक्ट की निगरानी एक स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) द्वारा की जाती है जिसे आयोग की सहमति से रिज़र्व बैंक नियुक्त करता है। इंटेग्रिटी पैक्ट (आईपी) संभावित बोलीकर्ता (वेंडर) और क्रेता के बीच एक करार है जिससे कि वे संविदा के किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार का सहारा न ले सकें। वेंडर और क्रेता के बीच इस पैक्ट में संविदा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उनका मुख्य रूप से रिश्वत, सांठ-गांठ आदि से दूर रहने के बारे में सहमति देना शामिल है। स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर स्वतंत्र रूप से समीक्षा करता है कि क्या और किस सीमा तक इस पैक्ट के अंतर्गत पैक्ट की पार्टियों ने अपनी देयताओं का अनुपालन किया है।

संदेह की स्थिति में, आईईएम पैक्ट के उल्लंघन के लिए प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करता है और संगठन के मुख्य कार्यपालक को अपने विचार प्रस्तुत करता है या निष्कर्षों को सीधे सीवीओ तथा आयोग को अग्रेषित करता है। अनेक अन्य उपायों का लक्ष्य भी मजबूत आंतरिक अभिशासन की शुरुआत करना है। सतर्कता से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने का आसान बनाने के लिए, सीवीओ का नाम, पता, टेलीफोन/फैक्स नंबर तथा ई-मेल पता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। कक्ष ने रिज़र्व बैंक के लिए व्हिसल ब्लोवर नीति भी शुरू की है ताकि भ्रष्टाचार की घटनाओं को कर्मचारी द्वारा प्रतिकार के डर के बिना तथा शिकायतकर्ता की पहचान उजागर किए बिना उजागर किया जा सके।

अंततः कार्यसंचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और शक्तियों के तदर्थ उपयोग को सीमित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने कुछ अतिरिक्त उपाय किए हैं जैसे :

- रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर इसके कार्यसंचालन से संबंधित उल्लेखनीय प्रकटन उपलब्ध कराना; इसके निर्णय निर्माण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं तथा अनुमोदन और अनुमति प्रदान करने के लिए समयसीमा।
- विभाग जिनका पब्लिक के साथ इंटरफेस है, उनके लिए नागरिक चार्टर प्रदर्शित करना अपेक्षित है जो सेवा में कमी के लिए विविध गतिविधियों के लिए समय-सारणी दर्शाता है, प्रचारित शिकायत समाधान प्रणाली चालू है।
- एक आवश्यकता कि जब भी किसी विनियमित संस्था पर मौद्रिक दंड लागू किए जाते हैं, तो ऐसे निर्णय देय प्रक्रिया का अनुपालन करके उस समिति द्वारा लिए जाते हैं जो अंतर्निहित परिचालन से असंबद्ध होती है, न कि किसी वैयक्तिक अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं, दंड के ब्यौरे भी बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
- एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की सभी निविदाएं जो बैंक द्वारा जारी/ अवार्ड की जाती हैं, उन्हें बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

निष्कर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक निवारक सतर्कता उपायों को सुशासन के लिए अपने प्रयासों के आधार के रूप में मानता है। रिज़र्व बैंक में मौजूदा निवारक सतर्कता उपायों से इसके कर्मचारियों द्वारा विनियमों और संहिता का पालन करने में मदद मिली है, जिसमें किसी प्रकार के विचलन को ध्यानपूर्वक देखा जाता है, संवीक्षा की जाती है और उसका समाधान किया जाता है। रिज़र्व बैंक में केंद्रीय सतर्कता कक्ष इन निवारक सतर्कता उपायो को और बनाए रखकर तथा सुदृढ़ करके रिज़र्व बैंक में सत्यानिष्ठा के उच्चतम स्तर को संरक्षित करने के अपने प्रयास को जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग कर अपने निवारक सतर्कता ढांचे को सुदृढ़ बनाने में आयोग की सहायता और मार्गदर्शन की उम्मीद करता है। (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Speeches/PDFs/CVCD1939C8177BE443E587735B76030BF37.PDF)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

ईसीबी नीति का उदारीकरण

रिज़र्व बैंक ने 19 सितंबर 2018 को भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया कि रुपये में मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (आरडीबी) से संबंधित नीति सहित बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के कुछ पहलुओं को नीचे दिए गए अनुसार उदारीकृत बनाया जाए:

- विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों द्वारा ईसीबी

रिज़र्व बैंक ने विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को न्यूनतम 1 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि की 50 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक की ईसीबी जुटाने की अनुमति दी है । इससे पहले पात्र उधारकर्ताओं द्वारा 50 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक न्यूनतम 3 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि की ईसीबी जुटाई जा सकती थी ।

- विदेशों में जारी किए गए आरडीबी के लिए भारतीय बैंकों द्वारा हामीदारी तथा बाजार निर्माण

रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि यथा लागू मानदंडों के अधीन, भारतीय बैंकों को विदेश में जारी आरडीबी के व्यवस्थापक/ हामीदार/ बाज़ार निर्माता/ व्यापारियों के रूप में सहभागी होने की अनुमति दी जाए। इससे पहले भारतीय बैंक, यथा लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, विदेश में जारी किए गए रुपये में मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (आरडीबी) के लिए व्यवस्थापक तथा हमीदार के रूप में कार्य कर सकते थे जहां किसी निर्गम के लिए हामी भरने के मामले में उसकी धारिता निर्गम जारी होने के 6 महीने बाद उस निर्गम की राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती थी। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=11375Mode=0)

बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार

बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना' शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 के तीन पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। इस योजना में भाग लेने के इच्छुक सभी प्रोफेसरों से अनुरोध है कि वे अपना नामांकन निर्धारित प्रारूप में इस प्रकार भेजने की व्यवस्था करें कि प्रविष्टियाँ 30 नवंबर 2018 को अपराह्न 05.00 बजे तक या उससे पहले महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 को प्राप्त हो जाए।

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।